संख्या- **474**/2025/1345/41-1-2024/CN-1889098/2025

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक **07** मई, 2025

विषय:-जनपद-बुलन्दशहर के नरौरा में स्थित हेरिटेज बरगद वृक्ष (Banyan tree)के पर्यटन विकास कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-224/के0यो0-एन.सी.आर./2025, दिनांक 16 अप्रैल, 2025का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत परियोजना को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किशासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्तजनपद-बुलन्दशहर के नरौरा में स्थित हेरिटेज बरगद वृक्ष (Banyan tree)के पर्यटन विकासकार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-88/2025/112/41-1-2025/001-CN-1889098-2025, दिनांक 11 फरवरी, 2025 को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 290.00 लाख (रूपये दो करोड़ नब्बे लाख मात्र)को ब्याज सहित राजकोष में तत्काल जमा कराते हुए चालान की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी,बुलन्दशहर।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. संयुक्त निदेशक,पर्यटन,मेरठ/सहारनपुर मण्डल, मेरठ।
9. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in